तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनीलकुमार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 44 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुनील कुमार पुत्र मोहनराज जैन पता मु. पोस्ट खुडाला श्री पालनगर फालना तहसील बाली जिला पाली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.19 में उसके द्वारा (1) खालसा गांव कस्बा बाली आबादी पट्टा जस विजयजी तपेगच्छ राणी स्टेशन वालो के नाम करणा बाली वला वाला की बास में सम्वत् 1939 श्रावण वद 7 सातम जो हवाला सुसपरीडेन्ट रेकर्ड सदर कानूनगो द्वारा जारी किया गयां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 215 दिनांक 08.02.19 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 353 दिनांक 15.03.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी श्री सुनील कुमार को इस कार्यालय के पत्र संख्या 22 दिनांक 04.01.19 के द्वारा सूचित किया गया कि प्रार्थना पत्र के संलग्न पोस्टल ऑर्डर अवधि पार होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि लोक सूचना अधिकारी से अवधि पार पोस्टल ऑडर होने का पत्र प्राप्त होने पर उसने पुनः नया पोस्टल ऑर्डर प्रेषित किया गया, परन्तु रेस्पो. ने अपीलार्थी को आवेदन में उल्लेखित नकलें प्रदत्त नहीं करने की मंशा से जरिये पत्रांक 215 दिनांक 08.02.19 सूचित किया गया कि आवेदन में चाही गई सूचना भू–अभिलेख अनुभाग के रेकर्ड शाखा से संबंधित नहीं होना बताया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कलक्टर कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा से संबंधित नहीं है, इस बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी को अवगत कराये जाने से अब अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है, परिणामस्वरूप अपील अस्वीकार योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	